107

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2879–एक/2015 – विरूद्ध आदेश दिनांक 22–7–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़ जिला अशोकनगर – प्रकरण कमांक 20 अ–68/2014–15

ख्यालीराम पुत्र शोभाराम कुशवाह
निवासी ईसागढ़ जिला अशोकनगर ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन --- अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0एल0धाकड़)
(अनावेदक के पैनल अभिभाषक श्रीमती बीना पाण्डे)

आ दे श
(आज दिनांक 25 - 7-2017 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़ जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण कमांक 20 अ–68/14–15 में जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 22–7–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ईसागढ़ के पटवारी ने तहसीलदार ईसागढ़ के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि आवेदक ने मंदिर श्री रामजानकी गुरू महाराज मंदिर वॉके ग्राम ईसागढ़ (प्रबंधक कलेक्टर) के नाम से दर्ज ईसागढ़ की भूमि सर्वे नंबर 826 रकबा 1.024 हैक्टर पर सब्जी लगाकर अतिक्रमण कर लिया है। तहसीलदार ने आवेदक के विरूद्ध प्रकरण कमांक 21 अ–68/2014–15 पॅजीबद्ध किया । तहसीलदार ईसागढ़ ने वाद जॉच एंव आवेदक को सुनवाई का अवसर देकर आदेश दिनॉक 4–7–2015 पारित किया तथा मंदिर श्री रामजानकी गुरू महाराज मंदिर वॉके ग्राम ईसागढ़ (प्रबंधक कलेक्टर) के नाम की भूमि सर्वे नंबर 826 रकबा 1.024 हैक्टर पर अतिक्रमण प्रमाणित पाये जाने से रू. 50,000/– अर्थदण्ड

अधिरोपित करते हुये बेदखल किये जाने के आदेश दिये। बेदखली आदेश होने के उपरांत आवेदक द्वारा अतिक्रमण न हटाये जाने पर तहसीलदार ईसागढ़ ने अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़ को सिविल जेल की कार्यवाही के प्रस्ताव प्रस्तुत किये, जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़ ने आवेदक के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 20 अ-68/14-15 पॅजीबद्ध किया तथा आवेदक को बचाव प्रस्तुत करने एंव सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 29-7-15 नियत कर सूचना पत्र दिनांक 22-7-2015 जारी किया। इसी सूचना पत्र के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक ने लेखी बहस प्रस्तुत की। अनावेदक के अभिभाषक को समक्ष में सुना गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने लेखी बहस में बताया है कि तहसीलदार ईसागढ़ द्वारा दिये गये नोटिस के क्रम में उन्हें अवगत करा दिया गया था कि आवेदक अतिक्रामक नहीं है क्योंकि आवेदक का इसी भूमि पर स्टेट बैंक ईसागढ़ में 20,000/-रू. प्रतिवर्ष जमा कराने का खाता खुलवाया गया है। आवेदक की मौके पर भिण्डी की फसल खड़ी है फिर भी आवेदक को परेशान किया जा रहा है। आवेदक विजली के मीटर का विल भी भर रहा है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यवाही निरस्त की जावे एंव निगरानी स्वीकार की जावे। अनावेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि वाद विचारित भूमि मंदिर श्री रामजानकी गुरू महाराज मंदिर वॉके ग्राम ईसागढ़ (प्रबंधक कलेक्टर) के नाम से दर्ज है जो शासकीय है तहसीलदार ने आवेदक पर अर्थदण्ड अधिरोपित करके बेदखली के आदेश दे दिये हैं। यह निगरानी सिविल जेल की कार्यवाही के नोटिस के विरूद्ध होने से निरस्त की जावे।

5/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस एंव अनावेदक के अभिभाषक के मौखिक तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके हैं कि वाद विचारित भूमि जब मंदिर श्री रामजानकी गुरू महाराज मंदिर वॉके ग्राम ईसागढ़ (प्रबंधक कलेक्टर) के नाम से दर्ज है ऐसी भूमि पर आवेदक किस आधार पर सब्जी उगाकर खेती कर रहा है। वाद विचारित भूमि पर अतिक्रमण करना अलग तथ्य है एंव बैंकों आदि में खाते एंव विजली के विल का भुगतान का तथ्य अलग है । जहां

तक अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़ द्वारा आवेदक को सिविल जेल की कार्यवाही करने हेतु जारी नोटिस दिनांक 22-7-15 का प्रश्न है ? अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक के पास अपना पक्ष रखने का एंव दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित उपचार प्राप्त है । ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़ के समक्ष कारण बताओ नोटिस दिनांक 22-7-15 के क्रम में बचाव प्रस्तुत नहीं करना चाहता है अपितु कारण बताओ नोटिस दिनांक 22-7-15 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में दिनांक 28-8-15 को निगरानी प्रस्तुत करके लम्बे समय तक कार्यवाही अवरोधित रखना चाहता है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में आवेदक को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़ जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 20 अ-68/14-15 में जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 22-7-15 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर